संख्या-467जेएल/22-3-2025-ई-1708344

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
शाहजहाँपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03-11-2025

विषय- जिला कारागार, शाहजहाँपुर के सिद्धदोष बंदी करन सिंह पुत्र श्री उधन सिंह, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर को पत्नी के उपचार हेतु पूर्व स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) अवधि में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-C-1397/प्रोबे/बंदी/पैरोल/2025-26, दिनांक 29-10-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, शाहजहाँपुर के सिद्धदोष बंदी करन सिंह (बंदी संख्या-288/2019) पुत्र श्री उधन सिंह, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर को पत्नी के उपचार हेतु शासनादेश संख्या-445जेएल/22-3-2025-ई-1708344, दिनांक 15-10-2025 द्वारा स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) अवधि में एक माह की वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहाँपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।